झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–38 वर्ष 2019

गंगा देवी जयसवाल उर्फ गंगा जयसवाल, उम्र लगभग 70 वर्ष, पत्नी–स्वर्गीय प्रदुमन कुमार, निवासी–पंप रोड, लाह फैक्टरी, चक्रधरपुर, डाकघर एवं थाना–चक्रधरपुर, जिला–पश्चिम सिंहभूम ....

याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– सुश्री अस्मिता श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्री शिव कुमार शर्मा, ए0पी0पी0।

शिकायतकर्त्ता के लिए :– श्री मितुल कुमार, अधिवक्ता।

03/07.02.2019 याचिकाकर्त्ता, जो कि पीड़िता की सास है, जो दिनांक 13.12.2018 के आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा उनके विरूद्ध दंड प्रकिया संहिता की धारा 82 के तहत प्रकिया जारी की गई है।

2. विद्वान अधिवक्ता श्री मितुल कुमार ने शिकायतकर्त्ता का प्रतिनिधित्व किया।

3. ओ0पी0 संख्या–2–शिकायतकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मितुल कुमार ने निवेदन किया है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, चाईबासा ने ए0बी0पी0 संख्या–230/2018 में पारित दिनांक 28.11.2018 के आदेश द्वारा याचिकाकर्त्ता के अग्रिम

जमानत को खारिज कर दिया है। शिकायतकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति न्यायालय में दाखिल किया है।

4. अभिलेख पर लिया गया।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चक्रधरपुर थाना काण्ड संख्या–79/2018 में कार्यवाही से खुलासा होगा कि दं0प्र0सं0 की धारा 82 के अधीन प्रक्रिया को मजिस्ट्रेट द्वारा जल्दबाजी में जारी किया गया है।

6. चक्रधरपुर थाना काण्ड संख्या–79/2018 में प्रथम सूचना रिपोर्ट भा0दं0सं0 की धाराएँ 498–ए/341/326/307/506/34 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए दिनांक 01.09.2018 को दर्ज किया गया था। न्यायालय में यह स्वीकार किया गया है कि अभी चक्रधरपुर थाना काण्ड संख्या–79/2018 में चार्जशीट दाखिल की गई है, लेकिन केवल पीड़ित महिला के पति के खिलाफ और याचिकाकर्त्ता के खिलाफ जांच लंबित है। याचिकाकर्त्ता ने ए0बी0पी0 सं0–230/2018 के द्वारा एक आवेदन दाखिल किया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसकी अग्रिम जमानत याचिका 28.11.2018 को खारिज कर दी गई है। अब 15 दिनों के भीतर, मजिस्ट्रेट द्वारा उनके खिलाफ सीआर0पी0सी0 की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी की गई है। चक्रधरपुर थाना काण्ड सं0–79/2018 में कार्यवाही के अवलोकन पर, जो बात न्यायालय के समक्ष जोरदार तरीका से आता है, वह यह है कि मजिस्ट्रेट द्वारा सीआर0पी0सी0 की धारा 73 या धारा 82 या धारा 83 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए कि वह विवाद का एक पक्ष है, जल्दबाजी में न्याय देने में न्याय का दफन होता है। दं0प्र0सं0 की धारा 73 के तहत

शक्तियों के प्रयोग में, इसलिए, दण्डाधिकारी द्वारा गिरफ्तारी का गैर–जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए, जब उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर उसने एक राय बनाई हो कि आरोपी या तो सबूत के साथ छेड़छाड़ करने का कोशिश कर रहा है या न्याय से भागने की कोशिश कर रहा है।

7. याचिकाकर्त्ता एक बूढ़ी महिला है, वह पीड़िता की सास है।

8. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 के अधीन शक्तियों का प्रयोग अभियुक्त को गंभीर परिणाम देती है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 के अधीन शक्तियों के प्रयोग से उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लग जाता है। इसी प्रकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन प्रक्रिया अभियुक्त को गंभीर परिणाम देती है। बार–बार न्यायालयों को यह याद दिलाया गया है कि मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 के अधीन और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आभ्यायिक संतुष्टि अभिलिखित करे, जो निश्चित रूप से मजिस्ट्रेट अपने समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर गठित करता है।

9. वर्तमान कार्यवाही में खुलासा किए गए तथ्यों से मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत प्रक्रियाओं को जारी करने में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया विधि सम्मत नहीं हो सकती है। तद्नुसार, 13.12.2018 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है।

10. उपरोक्त के मद्देनजर, आपराधिक विविध याचिका संख्या–38/2019 को अनुज्ञात किया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)